राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.16(2)चिस्वा/2/2022 जयपुर, दिनांकः 31.10.2022

–:परिपत्रः–

राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर में फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर के सॉफ्टवेयर को तत्काल प्रभाव से वर्तमान परिपेक्ष्य में अपडेट किया जावे तथा सरलीकरण किया जाकर User Friendly हो तथा कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता के मद्धेनजर अपटेड किया जावे तथा दिये गये आवश्यक सुधार के संबंध में अवगत कराया जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जावे।
2. फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन एवं फीस स्वीकार की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें। सभी दस्तावेजों से संबंधित कमी पूर्ति हेतु ऑनलाईन प्रकिया में Objectionजारी करने एवं उसकी पूर्ति आवेदक से तत्काल ऑनलाइन ही करवाई जावे।
3. राजस्थान राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय (यथा आरयुएचएस, सुखाडिया युनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास युनिवर्सिटी) एवं प्राईवेट युनिवर्सिटी के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी के फाईनल ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के 03 दिवस में राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के बेवसाईट पोर्टल पर परिणाम को अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों जिन्होने राज्य के बाहर के फार्मेसी कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम को संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के पोर्टल पर यथाशीघ्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
4. राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करने के पश्चात् राजस्थान राज्य के कॉलेज/विश्वविधालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की अधिकतम समयावधि 15 कार्य दिवस तथा राजस्थान राज्य के बाहर के कॉलेजों/यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के अधिकतम समयावधि 1 माह निर्धारित की गई है तथा फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु अधिकतम समय सीमा 07 दिवस की गई है जिसकी पालना सुनिश्चित कराने का दायित्व रजिस्ट्रार का है।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में बोर्ड/यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान नहीं हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन को 01 माह में रिजेक्ट/निरस्तीकरण किये जाने की कार्यवाही रजिस्ट्रार द्वारा की जावे।
6. राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के ऑनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संबंधी शिकायत एवं फीडबैक दर्ज कराने हेतु व्यवस्था की जावें एवं अध्यक्ष/रजिस्ट्रार प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 15 दिवस में करना सुनिश्चित करें।
7. राज्य के बाहर के कॉलेज एवं बोर्ड जिनकी मान्यता नहीं है, उनके प्रमाण पत्र के आधार अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के लम्बित प्रकरणों के आवेदन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जावें। साथ ही यदि ऐसे समान बोर्ड या कॉलेज के अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा पूर्व में जारी किये गये हों तो उनकी सूची राज्य सरकार एवं पोर्टल पर प्रस्तुत करें तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब की जावें।
8. वर्ष 2016 से पूर्व ऑफलाईन आवेदन तथा वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के जितने भी ऑनलाईन आवेदन लम्बित है उन सभी का निस्तारण 01 माह में आवश्यक रूप से कर राज्य सरकार को सूचित करें।
9. अभ्यर्थी का सीनियर सेकेण्डरी एवं आधार कार्ड का ऑनलाईन सत्यापन करवाया जावें।
10. राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर में फार्मासिस्टों को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जावें।

11. राजस्थान के अलावा अन्य राज्य की फार्मेसी कौंसिल से रजिस्ट्रेशन के स्थानान्तरण/हस्तान्तरण की प्रकिया को भी ऑनलाईन पोर्टल से किया जावें।
12. राज्य एवं राज्य के बाहर के कॉलेज, बोर्ड व विश्वविद्यालय जिसकी मान्यता नहीं है या ब्लैक लिस्टेड किया गया हो, की सूची को राजस्थान फार्मेसी कौसिंल की बेवसाईट/पोर्टल पर प्रकाशित किया जावे ताकि अभ्यर्थियों को सही जानकारी उपलब्ध हो सकें।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराने का दायित्व रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल का है। अतः निर्धारित समयावधि में ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. किसी अभ्यर्थी के आवेदनों में यदि किन्ही आक्षेपों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो एक बार मे ही आक्षेपों से अभ्यर्थी को 7 दिवस में ऑनलाईन सूचित करने की व्यवस्था की जावें।
15. राज्य सरकार को कौंसिल के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह रजिस्ट्रार प्रस्तुत करेगें।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राज. जयपुर।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
6. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर परिपत्र की पालना सुनिश्चित करे तथा राजस्थान फार्मेसी कौंसिल की वेबसाईट पर परिपत्र को अपलोड करें।
7. समस्त रजिस्ट्रार, राजकीय एवं प्राईवेट विश्वविधालय, राजस्थान तथा राज्य के बाहर के कॉलेजों के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि डी फार्मा व बी. फार्मा के फाईनल वर्ष के परिणाम को राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के पोर्टल पर परिणाम घोषित होने के तीन दिवस में आवश्यक रूप से अपलोड करें जिससे फार्मासिस्टों के समय पर पंजीकरण किये जा सकें।
8. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
9. कम्पयूटर सैल, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव